PRESS INFORMATION BUREAU पत्र सूचना कार्यालय GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार

Punjab Kesari, Delhi Sun, 28 May 2017, Page 15

Width: 5.35 cms, Height: 15.26 cms, a4, Ref: 36.2017-05-28.64

नगालैंड विधानसभा ने राज्य जीएसटी विधेयक पारित किया

कोहिमा, (भाषा): नगालैंड विधानसभा ने आज देश के बाकी राज्यों की तर्ज पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को मंजूरी दे दी। सदन के विशेष सत्र में विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. शुरहोजेली लीजीत्सु ने यह विधेयक पेश किया। मंख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय भी है। विधेयक पेश करने से पहले चर्चा की शुरुआत करते हुये सड़क और सेतु मंत्री वाई वीखेहो स्वू ने विधायकों को राज्य में जीएसटी लागू करने से होने वाले फायदों से अवगत कराया।

सही तरीके से लागू किये जाने पर जीएसटी से राज्य में कई फायदे आयेंगे। इसमें उद्योग एवं व्यापार के फायदे के साथ ही उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।

इसके साथ ही राज्य में राजस्व सृजन भी होगा।